<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा</u>
नरगिस बनाम सलीम खां उर्फ बबली

परिवाद सं0–64/16
धारा–406 भा0दं0सं0
थाना–ठाकुरद्वारा,

<u>10.07.2018</u>

अभियुक्तगण सलीम खां व शाबेज की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र परिवाद सं0–64/16 धारा– 406 भा0दं0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कथन है कि वे अन्तरिम जमानत पर हैं उन्हें नियमित जमानत पर जमानत पर रिहा किया जाए।

परिवादनी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मुल्जिमान को अन्तरिम जमानत इस शर्त पर दी गयी थी कि मुल्जिमान परिवादनी से सुलह समझौता करें तथा पत्रावली माननीय न्यायालय द्वारा सुलह समझौता केन्द्र भेजी परन्तु परिवादनी को सुलह समझौता केन्द्र तक नहीं पहुॅचने दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। अत : जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामला पारिवारिक प्रकृति का है। अभियुक्तागण को दिनांक 10.07.18 को न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत पर अवमुक्त किया गया था तदोपरान्त पत्रावली मीडिएशन भेजी गयी, यद्यपि मीडिएशन असफल रहा है चूंकि मामला पारिवारिक प्रकृति का है, भविष्य में भी सुलह समझौते की संभावना बरकरार है मामला परिवाद पर आधारित है। अभियुक्तगण को अभी तक सुनवाई का मौक नहीं मिला है। मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सलीम खां व शाबेज का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर हैं। जमानते दाखिल हैं। अतः पुराने जमानत नामे स्वीकार किये जाते हैं। समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा